तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
२०-१२-२५	पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का सम्यक अवलोकन उपरान्त वादी का वाद खारिज करना उचित प्रतीत होता है। अत: वादी का वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया तदानुसार डिक्री जारी हो। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी [illegible] (कूची)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

पीठासीन अधिकारी
श्रीमती भावना सिंह(RAS)

दावा संख्या 48/2017
दायरा दिनांक 31.07.2017

बउनवान

लक्ष्मी चन्द मीणा आत्मज श्री रामनारायण मीणा जाति मीणा निवासी बना साहब की हवेली वार्ड न0 3 इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान। –वादी

बनाम

तहसीलदार साहब तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान। –प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट
रिकार्ड दुरुस्ती एवं अधिकार घोषणा पत्र

अधिवक्ताः– 1. श्री हेमन्त योगी (अधिवक्ता वादी)
2. प्रतिवादी – तहसीलदार इन्द्रगढ़

दिनांकः– 20.12.2024

निर्णय

वादी ने एक वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,89 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी लक्ष्मीचन्द मीणा आ0 रामनारायण मीणा निवासी इन्द्रगढ़ द्वारा साबिक खसरा संख्या 2 रकबा 30बीघा 16बिस्वा में से 1बीघा भूमि ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान को माननीय जिला कलक्टर कोटा द्वारा आवंटन किया गया था। आवंटित की गई भूमि वर्तमान खसरा संख्या 7 रकबा 3.66है0 है जिसमें से प्रार्थी को 0.16है0 वाके ग्राम इन्द्रगढ़ में एलोट किया गया है। उक्त वादी विषयक भूमि सिवायचक थी जिसमें से वादी को 1बीघा भूमि श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, कोटा द्वारा दिनांक 17.12.1981 को चूना भट्टा हेतु दी गई थी जिस पर वादी सन् 1980 से काबिज चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज है। चूना भट्टा आज भी लगा हुआ है और प्रार्थी का रिहायशी कच्चा घर भी बना हुआ है। सेटलेमेंट ऑपरेशन के दोरान उक्त आराजी खसरा संख्या 7 रकबा 3.66है0 वन विभाग में शुमार दर्ज कर दी गई। वादी का उक्त भूमि पर मकान बना हुआ है अभी वादी उक्त भमि का अपने नियमन कराने गया तो वादी को पता चला कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 0.16है0 पर वादी का सन् 1980 से कब्जा चल रहा था रेवेन्यू अधिकारियों द्वारा रिकार्ड में राजस्व भूमि सिवायचक में दर्ज नहीं की गई ना ही वादी के पक्ष में कोई इन्द्राज दुरूस्ती की गई है। उक्त भूमि का इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना वादी के पक्ष में न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी अनुसूचित जन जाति का सदस्य है और रोजी रोटी का एक मात्र साधन यह भूमि है इस पर वह काबिज है। उक्त भूमि के संबंध में संभागीय आयुक्त साहब को प्रार्थना पत्र पेश करने एवं जिला

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

1/4

कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित करने के पश्चात् तहसीलदार द्वारा वादी का नाम दर्ज नहीं किये जाने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है। वादी द्वारा अन्त में निवेदन किया गया कि वादी को वाद विषयक भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावे और राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जर्ये सम्मन प्रतिवादी को तलब किया गया। तहसीलदार इन्द्रगढ़ ने बिन्दुवार जवाब सरकार पेश करते हुए निवेदन किया कि वादी को उक्त भूमि चूना भट्टा हेतु अस्थाई आवंटन पट्टा 5वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 15.12.1981 से 14.12.1986 तक जारी किया गया था जिसके बाद में वादी द्वारा नवीनीकरण नहीं कराये जाने से निरस्त हो चुका है भूमि राजकीय सिवायचक थी जो वर्तमान में वन विभाग के नाम दर्ज है। राजकीय सिवायचक भूमि के संबंध में अधिकार घोषणा का वाद चलने योग्य नहीं है। पत्रावली में बिन्दुवार तनकीयात कायम की गयी। वादी के साक्ष्य करवाये गये। वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य में स्वयं का पी0डब्लू01 तथा गवाह पी0डब्लू0 2 शंकरलाल, पी0डब्लू03 कुलदीप सिंह का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। वादी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श नहीं करने से पत्रावली बहस में नियत की गयी।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए कथन किया कि वादी को माननीय जिला कलक्टर कोटा द्वारा दिनांक 17.12.1981 को चूना भट्टा हेतु खसरा संख्या 2 रकबा 30बीघा 16बिस्वा में से 1बीघा भूमि ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में आवंटन की गयी थी। जिस पर वादी सन् 1980 से काबिज चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज है। चूना भट्टा आज भी लगा हुआ है और प्रार्थी का रिहायशी कच्चा घर भी बना हुआ है। अतः वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी को वाद विषयक भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावे और राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे। वादी अधिवक्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 1996 DNJ RAJ PAGE NO 397 D.B.(H.C.), 1993 RRD 44 DB HEAD NOTE(C), 1994 RRD 204, 1995 D.N.J.(RAJ) H.C. 544 DB, 2007(2) RLW(RJ) PAGE 1226, 2000-01 DNJ (RAJ) 245, 1996 RRD PAGE 52, 1996 RRD PAGE 974, 2014(4) DNJ RAJ 1672 पेश किए।

हमारे द्वारा वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपस्थित जवाब तहसीलदार एवं संलग्न दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया हमारे द्वारा तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जा रहा है–

1. आया वाद विषयक आराजी वादी के नाम आवंटन हुई थी?

   इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। उक्त तनकी की रोशनी में पत्रावली में उपस्थित प्रतिलिपी पत्र कार्यालय जिलाधीश, कोटा के पत्रांक 15705 दिनांक 17.12.1981 पट्टा वास्ते चूना भट्टा का अवलोकन किया गया जिसमें अंकित किया गया है कि राजस्थान भू राजस्व नियम 1965 की धारा 7(2) के अन्तर्गत वादी लक्ष्मीचन्द पुत्र रामनारायण जाति मीना साकिन इन्द्रगढ़ को ग्राम इन्द्रगढ़ जिला कोटा को भूमि खसरा संख्या 2 रकबा 1बीघा का पट्टा निम्न शर्तो पर प्रदान किया गया है–

1. पट्टे की अवधि 5वर्ष होगी।(15.12.1981 से 14.12.1986)
2. आवंटित भूमि अथवा उसके भाग का किराया 100/रुपये प्रतिवर्ष अदा करना होगा। यह किराया प्रतिवर्ष की समाप्ति पर देय होगा।
3. पट्टे की अवधि समाप्त हो जाने पर पट्टे का नवीनीकरण कराना होगा।

नकल जमाबंदी सम्वत् 2034 से 2038 ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला कोटा खतौनी संख्या 1 खसरा संख्या 2 रकबा 30बीघा 16बिस्वा राजकीय खाता सिवायचक नाकाबिल काश्त(आंशिक) दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त जमाबंदी में यह नोट अंकित किया गया है कि श्रीमान् जिलाधीश महोदय कोटा के आदेश क्रमांक 15705 दिनांक 17.12.1981 से श्री लक्ष्मीचन्द आ0 रामनारायण कौम मीना को 5वर्ष के लिए चूना भट्टे के लिए प्रतिवर्ष 100रु किराया हेतु खसरा संख्या 2 में से 1बीघा भूमि अलोट की गयी। तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा दिनांक 10.11.2017 को प्रस्तुत जवाब में यह तथ्य अंकित किया गया है कि उक्त अस्थाई आवंटन/पट्टा वादी को 5 वर्ष के लिए जारी किया गया था जिसका बाद में नवीनीकरण नहीं कराये जाने से आवंटन निरस्त हो चुका है। वर्तमान में उक्त भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है। वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी इस तनकी के समर्थन में मात्र मौखिक साक्ष्य पेश किए है हमारे सम्मुख ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिसमें वादी द्वारा उक्त पट्टे का 5 वर्ष अवधि बाद नवीनीकरण कराया गया हो या कोई राशि नवीनीकरण बाबत् जमा करवायी गयी हो। इससे यह साबित के है कि उक्त वाद विषयक आराजी का वादी को चुने भट्टे के लिए अस्थाई आवंटन पट्टा केवल 5वर्ष अवधि 15.12.1981 से 14.12.1986 तक किया गया था। इस प्रकार उक्त तनकी वादी के पक्ष में आंशिक तय की जाती है।

2. आया वाद विषयक आराजी पर काबिज काश्त है?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। उक्त तनकी को साबित करने बाबत वादी द्वारा मात्र मौखिक साक्ष्य पेश किए है तथा कोई भी ऐसा ठोस लिखित दस्तावेज हमारे सम्मुख पेश करने में नाकामयाब रहे है जिससे यह साबित होता हो कि उक्त वाद विषयक भूमि पर कितने वर्षों से वैध कब्जा है। इस प्रकार साक्ष्य के अभाव में उक्त तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

3. आया वादी को चूना भट्टा बाबत् अस्थाई आवंटन 5वर्ष के लिए किया गया था जो 5वर्ष बाद निरस्त हो गया?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। उक्त तनकी के प्रकाश में उक्त भूमि के संबंध श्रीमान् जिलाधीश महोदय कोटा के आदेश क्रमांक 15705 दिनांक 17.12.1981 का एवं नकल जमावंदी सम्वत् 2034 से 2038 ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला कोटा खतौनी संख्या 1 खसरा संख्या 2 रकवा 30बीघा 16बिस्वा अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी को वाद विषयक आराजी का चूना भट्टा बावत् अस्थाई अस्थाई आवंटन 5वर्ष के लिए किया गया था जो 5वर्ष बाद निरस्त हो गया है। पत्रावली में उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

आया विवादित आराजी राजकीय सिवायचक जो वर्तमान में वन विभाग में दर्ज होने के कारण अधिकार घोषणा का चलने योग्य नहीं है?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। उक्त तनकी के प्रकाश में भू–प्रबंधन विभाग का खसरा मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2041–2060 ग्राम इन्द्रगढ़ के अवलोकन से स्पष्ट है खसरा 2मी0 से नया खसरा 7 रकबा 3.66है0 बना है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2034 से 2037 ग्राम इन्द्रगढ़ खतौनी संख्या 1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व खसरा संख्या 2 रकबा 30बीघा 16बिस्वा नामांतकरण संख्या 182 से वन विभाग के नाम दर्ज की गयी है जिसका नोट जमाबंदी में अंकित है। वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम इन्द्रगढ़ खातैनी संख्या 129 के खसरा संख्या 7 रकबा 3.66है0 वन विभाग गै0मु0 जंगलात दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। पत्रावली में उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

इस प्रकार तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में आंशिक एवं तनकी संख्या 2 वादी के विरूद्ध, तनकी संख्या 3,4 प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है। वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उक्त प्रकरण पर चस्पा में नहीं होते है। वादी द्वारा वाद विषयक कृषि भूमि पर उक्त अस्थाई आवंटन एवं कब्जे के आधार पर पर वाद विषयक कृषि भूमि वाके ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ के खसरा संख्या 7 रकबा 3.66है0 में से 0.16है0 जो कि वर्तमान में वन विभाग के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है पर वादी का वाद स्वीकार कर अधिकार घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती किया जाने हम उचित नहीं समझते है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

लाखेरी(बून्दी)

अन्तिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.. मुकाम............लाखेरी...........................
व इजलास........श्रीमती भावना सिंह(आर0ए0एस)...

लक्ष्मी चन्द मीणा आत्मज श्री रामनारायण मीणा जाति मीणा निवासी बना साहब की हवेली वार्ड न0 3 इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
–वादी

बनाम

तहसीलदार साहब तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
–प्रतिवादी

दावा बाबत 88,89 आर0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर 48/दावा/2017

सन् ....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .... हमारे..........व हाजिरी .....वादी अधिवक्ता श्री हमेन्त कुमार योगी ......मिनजानिब मुद्दई रूबरू.................... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है कि –

वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है।

निज..मुबलिग..बाबत...
...............खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20 **माह 12 सन् 2024** को जारी की गई।

मुहर **दस्तखत** **ओहदा**

उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।